रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/94 REGD. NO. D.L.-33004/94

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 141] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 30, 1994/चैत्र 9, 1916
No. 141] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 30, 1994/CHAITRA 9, 1916

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 मार्च, 1994

सं. 107/94–सीमा शुल्क

सा.का.नि. 346(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के

वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 175/93-सीमा शुल्क, दिनांक 19 अक्टूबर, 1993 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में पैरा (2) में "31 मार्च, 1994" शब्दों और अंकों के स्थान पर "30 जून, 1994" शब्द और अंक रखे जाएंगे।

[फा. सं. 341/37/93-टी.आर.यू.]

राजीव शर्मा, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th March, 1994

No. 107/94-CUSTOMS

G.S.R. 346(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 175/93-Customs, dated the 19th October, 1993, namely :—

In the said notification, in paragraph (2), for the figures and words "31st day of March, 1994", the figures and words "30th day of June, 1994" shall be substituted.

[F. No. 341/37/93-TRU]

RAJIV SHARMA, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 मार्च, 1994

सं. 76/94—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

सा.का.नि. 347(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क की उपधारा (1), के साथ पठित अतिरिक्त उत्पादन शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957 (1957 का 58) की धारा 3 की उप-धारा (3), द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित

में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार की वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 97/93–केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तारीख 19 अक्टूबर, 1993 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, पैरा (2) में "31 मार्च, 1994" शब्दों और अंकों के स्थान पर "30 जून, 1994" शब्द और अंक रखे जाएंगे।

[फा. सं. 341/37/93-टी.आर.यू.]
राजीव शर्मा, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th March, 1994

No. 76/94-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 347(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5-A of the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), read with sub-section (3) of section 3 of the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957 (58 of 1957), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 97/93-Central Excises, dated the 19th October, 1993, namely :—

In the said notification, in paragraph (2), for the figures and words "31st day of March, 1994", the figures and words "30th day of June, 1994" shall be substituted.

[F. No. 341/37/93-TRU]
RAJIV SHARMA, Under Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1994